कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर

पत्रांक 2812 / 14-1 दिनांक, 12 / 2 / 2021

सेवा में,

श्री राकेश गुप्ता,
डिप्टी जनरल मैनेजर,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
इस्पात भवन, तृतीय मंजिल, संजय प्लेस, आगरा।

विषय– **दिल्ली–कानुपर मार्ग किमी0 59 की बांयी पटरी पर ग्राम लालपुर के गाटा संख्या 165 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट क सम्पर्क मार्ग के निर्माण के संबंध में नोडल अधिकारी/भूमि हस्तांतरण द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के संबंध में**

उपरोक्त विषयक कम में प्राप्त आपके पत्र दिनांक 09.11.2020 के कम में अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में जिलाधिकारी बुलंदशहर द्वारा अपने पत्र संख्या 2493/शस्त्र लिपिक दिनांक 23.11.2013 द्वारा वन विभाग द्वारा लगाई गई शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था, जिसमें उल्लिखित किया गया है कि प्रस्तावक फर्म/कार्यदायी संस्था द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन किया जाता है तो वन विभाग वैधानिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। उक्त प्रकरण में इस कार्यालय के अन्तिम पत्रांक 1233/14–1 दिनांक 12.10.2017 द्वारा आपको अवगत कराया गया था कि उक्त प्रकरण से संबंधित प्रस्ताव परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन करायें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके, परन्तु उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही आपके स्तर से नहीं की गयी।

सम्भवतः जिलाधिकारी बुलंदशहर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 23.11.2013 मिलने के उपरान्त ही नवीन रिटेल आउटलेट की स्थापना की गयी है। क्षेत्रीय वन अधिकारी स्याना द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 10.01.2021 में उल्लिखित किया गया है कि आगमन एवं निर्गमन मार्ग पूर्व से बना है। जिसका उपयोग आपके द्वारा वाहनों के आवागमन हेतु किया जा रहा है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि संबंधित मार्ग पटरी का उपयोग किया जा रहा है।

रिपोर्ट सूचनार्थ प्रेषित है।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बुलन्दशहर

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी स्याना को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विषयक प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही कर रिपोर्ट उपलब्ध करायें।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बुलन्दशहर

2036/steno letter new